



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (83)आकाशि/नि.सं./2003/703

दिनांक:- 21/12/22

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातक स्तर पर निम्नलिखित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
विवेक शिक्षा समिति, जयपुर-जोबनेर रोड़, कालवाड़, जयपुर।	विवेक पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर-जोबनेर रोड़, कालवाड़, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर कला संकाय- गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
 2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
 3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 6. स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
 7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
 9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
 10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (00)आकाशि/नि.सं./2003/1385

दिनांक:- 13.08.18

आदेश

राजस्थान में सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संबालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
विद्येक शिक्षा समिति, कालवाड़, जयपुर- जोबनेर रोड, जयपुर।	विद्येक पी.जी. महाविद्यालय, कालवाड़, जयपुर- जोबनेर रोड, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.एस.सी.-भौतिकशास्त्र।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मध्य वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था जो समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि: (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयधार सौदों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय सख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aiche.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4 (पॉलिसी) लेखा/अनु/ आकाशि/2010/7

दिनांक-4/1/10

कुल सचिव

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

महर्षि दशानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

विषय:- सत्र 2010-11 से नवीन विषय/सकाय प्रारम्भ करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2010-11 से राज्य सरकार के अनुमोदन
द्वारा अनुदानित एवं निजी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों को नये
विषय/सकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नये विषय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्त कॉलेज
शिक्षा, राज., जयपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

नवीन विषय/सकाय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनुदानित एवं गैर अनुदानित
स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय सीधे ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय को आवेदन
कर सम्बद्धता प्राप्त करें।

A. K. Sharma

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा
राज., जयपुर

Received
L

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (179/60) आकाशि/अनु/2003/89

दि 02 जनवरी, 2009

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009-10 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	60	विवेक पी.जी. महाविद्यालय	जोबनेर रोड, कालवाड जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (59) आकाशि/अनु/03/9079

दिनांक 31 जुलाई, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है—

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नया नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	59	विवेक महाविद्यालय	जोबनेर रोड कालवाड़, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित विषय एवं संकाय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध और सत्र 2010-11 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

67-69 2/11/2007
31/1/07

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (40) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2500 दिनांक 14 अगस्त, 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 हेतु पूर्व में संचालित संकायो/विषयो में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंतिम अवसर देते हुए एक वर्ष के लिए अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाती है-

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	24	श्री एस.आर.महाविद्यालय	लूनकरणसर, बीकानेर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	40	महापं परशुराम महाविद्यालय	सैपड, घोलपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	50	शिवेक महाविद्यालय	जोबनेर रोड, कालवाड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	51	वसुन्धरा महिला महाविद्यालय	अचरोल, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	52	सत कबीर महाविद्यालय	डुडु, तह मीजनाबाद, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	118	अजीतगढ़ कॉलेज	अजीतगढ़, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	132	कन्या महाविद्यालय	निधाई जिला टोक	म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
8	141	डॉ अनुष्का विधि महाविद्यालय	टाउन हॉल रोड, उदयपुर	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर	विधि
9	162	आदर्श महिला महाविद्यालय	सीकरी, भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
10	177	दौसा विधि महाविद्यालय	मारुती कालीनी, पद्मायत समिति रोड, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
11	211	श्री जीवन महाविद्यालय सीकर	चो.चरणसिंह नगर, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	228	पटेल महाविद्यालय	निवाई, जिला टोक	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
13	229	महाराणा प्रताप महाविद्यालय	गढ पैलेस, उनियाशा, टोक	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
14	254	डॉ सी.ए.पी.जी. महाविद्यालय	वरुण पथ मानसरोवर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
15	268	आर्य कन्या विधि महाविद्यालय	स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
16	2	सिस्टम कॉलेज	1880/25, कृष्ण गंज अजमेर	म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करेगी ।
- महाविद्यालय द्वारा सत्र 2008-09 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तराई और सत्र 2009-10 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
- आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन-स्थायी स्टाफ से सम्बन्धित समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

७

11/11/11

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 () लेखा/आकाशि/अनु/99/पार्ट-3/1084

दि 29.9.06

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

विषय:- अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार सत्र 2006-07 हेतु पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में एक वर्ष के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों को अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाती है-

क्र.सं.	पत्रा. सं०	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	फोन नं.	संकाय एवं विषय
1	67	श्री शिरडी सॉई बाबा कॉलेज	किशनगढ, रेनवाल, जयपुर-220013	01424-220013	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
2	105	श्रीमती हेलिना कौशिक महिला महाविद्यालय	मलसोसर, झुन्झुनू-331028	01595-276593, 9414540947	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
3	68	संत कबीर महाविद्यालय, दूदू	फागी रोड, दूदू, त० मीजमाबाद, जिला-जयपुर-303008	01428-224576	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
4	103	बाबूलाल माखरिया कन्या महाविद्यालय, बगड	बगड, जिला- झुन्झुनू (अपूर्णा)	01592-221680	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
5	40	लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय	धौलपुर	05642-220246, 9414268993	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
6	18	श्री गुरुमाधवानन्द प्रतिभा महाविद्यालय	जगनेर रोड, रुपवास, भरतपुर-321404	9414655200	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
7	62	विवेक महाविद्यालय	जयपुर जोबनेर रोड, कालवाड, आमेर जयपुर-303706	0141-2589596, 9414078809, 9828059072	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
8	19	बंजरग कन्या महाविद्यालय, रुदावल	रुदावल, त०- रुपवास, भरतपुर-321402	05645-254111, 9414654670	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
9	79	डा.बी.आरअम्बेडकर पी.जी. महिला महाविद्यालय	सी-513, महेशनगर, जयपुर	2595611 2502617	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
10	101	न्यू राजस्थान बालिका महाविद्यालय	मण्डावा रोड, वार्ड न० 1, झुन्झुनू	01592-233655, 512178	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
11	44	विवेकानन्द कन्या महाविद्यालय, धौलपुर	धौलपुर-328001	05642-220438, 9414282826	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
12	89	श्री श्रद्धानाथ महाविद्यालय, टोडी	टोडी, त० उदयपुरवाटी, जिला- झुन्झुनू	01594-263545, 9828309053	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
13	98	केसरी देवी ज्ञान मन्दिर बालिका महाविद्यालय	मुकन्दगढ, जिला-झुन्झुनू-333705	01594-252329	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
14	16	अग्रसेन महिला महाविद्यालय	खेरली, कदुमर(अलवर)-321606	01492-221601	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
15	64	प्रमात महाविद्यालय	21 अमृत नगर, न्यू साँगानेर रोड, विजय पथ के सामने, जयपुर - 302020	0141-2782719	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
16	132	श्री शास्त्री कन्या महाविद्यालय	कूदन, धोड, सीकर-332031	01572-230316	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
17	80	बियानी गर्ल्स कॉलेज	आर-4, सै०-3 विद्याघर नगर, जयपुर-302023	0141-2338371, 2336226, 9351127400	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय

18	92	भास्कर कन्या महाविद्यालय	गाडाखेडा, झुन्झुनू-333026	01593-272447	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
19	74	सेन्ट जोजफ एकेडमी महिला महाविद्यालय	601, बरकत नगर, जयपुर-302015	0141-2590407, 2591609	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
20	100	चन्चल अहिल्या उमरावती महिला महाविद्यालय	मण्डेला, जिला- झुन्झुनू-333025	01596-277939, 9829377914	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
21	42	कमला महाविद्यालय	गिराज कॉलोनी, छोटी रेल्वे लाइन के पास, धौलपुर-328001	05642-241821, 240636	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
22	45	उमादत्त गर्ल्स पी जी कॉलेज	धौलपुर	05642-224056	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
23	41	ब्रजेश महाविद्यालय	बाडी, धौलपुर-328021	05647-242398	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
24	104	महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान महाविद्यालय	मण्डावा रोड, वार्ड नं० 1, झुन्झुनू-333001	01592-238640, 9314222190	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
25	43	राजकुमार महाविद्यालय, बाडी	बाडी, धौलपुर-328021	05647-243895, 9314184831	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
26	131	भारतीय महिला महाविद्यालय, सीकर	चौ. चरण सिंह नगर,पटेल कॉलोनी,सीकर	01572-253821, 513121	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
27	15	कल्पना चावला कन्या महाविद्यालय	नया बस स्टैण्ड, राजगढ़, अलवर-301408	01464-222213, 9414215523, 9414890542	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
28	99	श्री मनसा कन्या महाविद्यालय, उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी, जिला- झुन्झुनू	01594-233949, 9829057159	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
29	91	श्री चावो वीरो बालिका महाविद्यालय	बगड, जिला- झुन्झुनू	01592-222200, 221047, 221270, 221460	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
30	84	श्रीमती जडाव देवी शिक्षण संस्थान महाविद्यालय	सुलताना, चिडावा, झुन्झुनू	01596-281200, 9414081002	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
31	127	चौ० आर.आर. मेमोरियल महाविद्यालय	रीगस, त०-श्रीमाधोपुर, सीकर-302404	01575-224583, 9828151434	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
32	130	श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय	मुकन्दगढ़ मंडी, जिला-झुन्झुनू-333705	01594- 252044, 253933	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
33	129	ग्रामीण महिला महाविद्यालय	शिवसिंहपुरा, पो० कुडली वाया- कटराथल सीकर-332001	01572-248204	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
34	150	आत्माराम महाविद्यालय	बस्सी, जयपुर	01575-252138, 9414047184	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
35	10	गीता देवी डिग्री महाविद्यालय	खैरथल, किशनगढ़, अलवर-301404	01460-225274, 9414018474	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
36	75	अरविन्द श्री महिला महाविद्यालय	नगर निगम रोड, साँगानेर-303902	0141-2731133, 2730169	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
37	14	नेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स	विजय नगर, बुद्धविहार, अलवर-301001	0144-5121649, 2371882, 9414019530	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
38	31	सैनी आदर्श महाविद्यालय	बौदीकुई, जिला- दौसा	01420-224326	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
39	87	श्री रामप्रसाद बोहरा महाविद्यालय	मु.पो०- बुहाना, जिला झुन्झुनू-333502	01593-288421, 941483528 (गलत)	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
40	37	इन्दिरा गंधी महिला महाविद्यालय	नला मोहल्ला, दौसा	01427-220211	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
41	33	ए वी पी महाविद्यालय	लालसोट, जिला दौसा-303503	01431-222173	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
42	32	महात्मा गंधी महाविद्यालय, महुवा	मण्डावर रोड, महुवा, जिला- दौसा-321608	9414248140	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
43	128	महात्मा गंधी महाविद्यालय, श्रीमाधोपुर	श्री माधोपुर, सीकर-332715	01575-512190, 215090	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय
44	34	यूनिवर्सल कॉलेज, महुवा, दौसा	महुवा, दौसा-321608	07461-240200, 9414057755	पूर्व मे संचालित संकाय एवं विषय

(Handwritten signature)

45	11	जानकी देवी महाविद्यालय, धानागांजी	धानागांजी, अलवर	01465-224468, 9414641362	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
46	60	महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय	वौमू, जिला-जयपुर-303802	01423-512953	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
47	126	महर्षि परशुराम महाविद्यालय, दांता(सीकर)	दांता, पो.स.- दांतारामगढ़-332702	01577-272532, 9214670825, 9414206704	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
48	90	राकेश महाविद्यालय, पिलानी	पिलानी, झुन्डुनू-333031	01596-245975, 9828532442	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
49	102	नरेश कन्या महाविद्यालय	सिंहाना, बुहाना, झुन्डुनू-333503	0193-234477, 9414540586	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2007-08 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध और सत्र 2008-09 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरों से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार आयुक्तालय को निरीक्षण हेतु आवेदन करना होगा तथा निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करारेंगी ।

भवदीय,
(दामोदर शर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा० मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर, झुंझुं, धोलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, दौसा
8. सम्बन्धित महाविद्यालय
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2004-05/134

दिनांक 22/07/2004

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर ।

विषय:- निजी महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2004-05 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निम्न महाविद्यालयों के लिए सत्र 2004-05 में उनके नाम के सामने अंकित विषय/संकाय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र0सं0	महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय
1	2	3
1	विवेक महाविद्यालय, कालवाड, झोटवाडा, जयपुर	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भूगोल, बायोटेक्नोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन स्नातक स्तर कला संकाय- कम्प्यूटर एप्लीकेशन ।

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर आयुक्त कालेज शिक्षा, को प्रेषित करेगी अन्यथा आयुक्त कार्यालय द्वारा एन.ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों को ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष / फर्नीचर/ प्रयोगशालायें/ पुस्तकालय/ खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
7. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं आयुक्त कालेज शिक्षा के निर्देशों की पालना करेगी ।
8. उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय/ पाठ्यक्रम हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं आयुक्त कालेज शिक्षा, को सूचित किया जायेगा ।

महोदय,
22/7/04
(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

- प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
 2. सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
 5. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 7. जिला कलक्टर, जयपुर ।
 8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
 9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
 12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

राजस्थान सरकार
शिक्षा - विभाग

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
क्रमांक:- प. 41 लेखा/आकाशि/1890 दिनांक:- 22/9/04

कुल सचिव,

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

विषय:- अन्तःकालीन सम्बन्धन अवधि- 2004-05 में
वृद्धि/स्थगित सम्बन्धन वाहने हेतु प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

निम्नलिखित विषयों में अन्तःकालीन सम्बन्धन अवधि- 2004-05 में
वृद्धि/स्थगित सम्बन्धन वाहने हेतु प्रार्थना-पत्र जो कि प्राचार्य, विश्वविद्यालय
कालिकाट जयपुर से उनके पत्र क्रमांक - 10
दिनांक 21-9-04 - के द्वारा इस विभाग में प्राप्त हुआ है। वह मूल रूप में
इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित किया जा रहा है। साथ में
यह भी लेख है कि इसके लिये हमारे द्वारा कोई वित्तीय भार स्वीकार नहीं है।

विषय:- BA :- डाकिनाभ चित्तार, जयपुर, सिन्धी, गुरुकुल, राजस्थान, जयपुर, इनीस
अर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, उद्योगशास्त्र,
BS :- शैविन विद्यालय, राजस्थान विद्यालय, जयपुर, राजस्थान शास्त्र
शास्त्र

भवदीय,

डा

संयुक्त - निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।

दिनांक:- 22/9/04

क्रमांक:- प. 41 लेखा/आकाशि/1891

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, विश्वविद्यालय कालिकाट जयपुर

को उनके पत्र क्रमांक - 10 - दिनांक 21-9-04 - के सन्दर्भ
में सूचनार्थ भेजकर लेख है कि उनके द्वारा सम्बन्धन शुल्क भी
विश्वविद्यालय को भेजने की व्यवस्था करें।

संयुक्त - निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।



राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प. 2 (53)/शिक्षा-4/2003

जयपुर, दिनांक:-27.2003

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।


विषय:-विवेक महाविद्यालय, कालवाड़, जयपुर के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक:
प.4() लेखा/निकाशि/2002/ दिनांक: ..2003

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंसा के आधार पर विवेक महाविद्यालय, कालवाड़, जयपुर के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1.हिन्दी 2 संस्कृत 3.राजनीति विज्ञान 4.इतिहास 5. अर्थशास्त्र 6. अंग्रेजी 7.भूगोल एवं विज्ञान संकाय में 1. भौतिक विज्ञान 2. रसायनशास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र 5. गणित ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है :-

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी.अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन.ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष /फर्नीचर/प्रयोगशालायें/पुस्तकालय /खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 5.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा/5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय,

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक , मा0 राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजी सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर , जयपुर ।
6. अध्यक्ष , विवेक चिल्ड्रन शिक्षा समिति ,कालवाड़, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।



विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा